

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जोधपुर ग्रामीण)

जयश्री पुत्री देवीलाल

बनाम

भंवरलाल पुत्र स्व. पुनमचन्द वगोराह

किस्म मुकदमा - 75 राज. भूराजस्व अधि. 1956

(मुकदमा नम्बर 19/2024)


(सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
27.12.2024	<p>अपीलान्त की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 के विरुद्ध रेस्पोंडेन्टगण पेश किया गया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>स्थगन प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पर वकील अपीलान्त की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलान्त अधिवक्ता द्वारा बहस में जाहिर किया कि राजस्व ग्राम गिलाकोर पटवार हल्का गिलाकोर तहसील चामू में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 0.6232 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है। उक्त भूमि अपीलान्त के नाना की सम्पत्ति है जिसमें अपीलान्त की माता का हक हिस्सा निहित है। राजस्व मूलवाद के निर्णय तक उभयपक्ष के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 0.6232 हैक्टेयर वाके गिलाकोर का किसी प्रकार का बेचान नही करें।</p> <p>अपीलान्त अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि राजस्व राजस्व ग्राम गिलाकोर पटवार हल्का गिलाकोर तहसील चामू में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 0.6232 हैक्टेयर की भूमि अपीलान्त की माता की भूमि है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है।</p> <p>अतः उभयपक्षकारान को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व राजस्व ग्राम गिलाकोर पटवार हल्का गिलाकोर तहसील चामू में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 0.6232 हैक्टेयर में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे उक्त स्थगन आदेश गै.मु. रास्ता, सरकारी योजनाओं, राजकीय विभागों एवं कृषि सहायक गतिविधियों पर लागू नही होगा एवं उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता आदेश 39 सीपीसी की पालना में अप्रार्थीगणों के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. से प्रेषित करते हुए आगामी तारीख पेशी पर पोस्टल रसीदे एवं ट्रेक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 27.01.2025 को पेश हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर



फर्द अहकाम

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
25/1/25	<p>पत्रावली नम्बर 5/3/25 पर जारी राजकीय कार्यवाही का अहकाम जारी है। पत्रावली इलज्ज होकर दिनांक 5/3/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">/ -</p>	
20/2/25	<p>पत्रावली में प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश होने पर आज तारीख पेशी पर ली गई। प्रार्थना पत्र मिसल तलबी के साथ प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा विद्रोल का पेश शामिल मिसल हो। प्रार्थना पत्र राजीनामा विद्रोल में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्टगण के मध्य आपसी लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है अपीलान्ट उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता हैं। रेस्पोंडेन्ट 1, 2, 3 के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोंडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र राजीनामा विद्रोल का समर्थन किया गया। अतः अपील जरिये विद्रो निस्तारित की जाती है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.12.2024 को मौजा गिलाकोर के खसरा नम्बर 282 पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, बालेसर </p>	<p>जयश्री डेवीलाम</p> <p>Dr. Anubhai (Adv.) पट्टयान कर्ता</p>